रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 1978/भाद्र 31, 1900
No. 188] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 1978/BHADRA 31, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1978

संकल्प

सं० आई०एल०-19(5)/78.—सरकार का विचार है कि पुनर्वेलन उद्योग की वर्तमान क्षमता, स्थिति और कार्यकरण का मूल्यांकन करने तथा सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों और पुनर्वेलकों के उत्पादों को युक्तिसंगत बनाने और पुनर्वेलन उद्योग के भावी संवर्धन और विकास के लिए एक योजना बनाने की सिफारिश करने के लिए पुनर्वेलन उद्योग का नए सिरे से अध्ययन किया जाए। अतः उपर्युक्त अध्ययन के लिए एक तकनीकी समिति का गठन का निश्चय किया गया है।

2. गठन

समिति का गठन इस प्रकार होगा:—

1. श्री पी० के० सरकार,
लोहा तथा इस्पात नियंत्रक,
लोहा तथा इस्पात नियंत्रण,
234/4, आचार्य जगदीश बोस रोड,
कलकत्ता—700020 अध्यक्ष

2. श्री एम० के० प्रमाणिक,
औद्योगिक सलाहकार,
लोहा तथा इस्पात नियंत्रण,
234/4, आचार्य जगदीश बोस रोड,
कलकत्ता—700020 सदस्य

3. श्री उद्यन सेन,
मुख्य अधीक्षक (फिनिशिंग मिल्स),
भिलाई इस्पात कारखाना,
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०,
भिलाई—490001 (मध्य प्रदेश) सदस्य

4 श्री वाई०, इरूवियन,
मुख्य विपणन प्रबन्धक,
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०,
इंडस्ट्रियल हाउस, पांचवीं मंजिल
10, कैमक स्ट्रीट,
कलकत्ता—700017 सदस्य
या
श्री ए० एल० साहू,
बिक्री प्रबन्धक,
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०,
इन्डस्ट्रियल हाउस, पांचवीं मंजिल,
10, कैमक स्ट्रीट,
कलकत्ता—700017 सदस्य

5. मैसर्स मेटालर्जीकल एण्ड
इंजीनियरिंग कन्सलटेन्टस (इंडिया) लि०
रांची—834002 का प्रतिनिधि सदस्य

6. मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि०,
5, मिशन रो एक्सटेन्शन,
कलकत्ता—700013 का प्रतिनिधि सदस्य

7 लघु उद्योग
विकास आयुक्त का कार्यालय,
नई दिल्ली का प्रतिनिधि — सदस्य

8. उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग),
नई दिल्ली का प्रतिनिधि — सदस्य

9 श्री एस० एस० साहा,
विकास अधिकारी,
लोहा तथा इस्पात नियंत्रण,
234/4, आचार्य जगदीश बोस रोड,
कलकत्ता—700020 — सदस्य-सचिव

समिति जब कभी आवश्यक समझेगी अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक की अनुपस्थिति में श्री एम० के० प्रमाणिक समिति के अध्यक्ष का कार्य करेंगे।

3. विचारार्थ विषय

(1) समिति पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर इस्पात पुनर्वेलन इकाइयों का मूल्यांकन करेगी और अधिकतम उपयोग के आधार पर इन इकाइयों के लिए क्षमता की सिफारिश करेगी। जहां तक उन इकाइयों का सम्बन्ध है जिनके पास कैरी-आन-बिजनस लाइसेंस है उनका मूल्यांकन इस आधार पर किया जायेगा कि इन्होंने उदार औद्योगिक लाइसेंस नीति की अवधि में कितने उपस्कर और मशीनें लगाई हैं/उदार औद्योगिक लाइसेंस नीति की अवधि में (अर्थात् पत्तियों/चादरों के अलावा अन्य इकाई के लिए 19 फरवरी, 1970 से 31 अक्तूबर, 1975 की अवधि और पत्तियों/चादरों की इकाइयों के लिए 19 फरवरी, 1970 से 13 नवम्बर, 1975 की अवधि) प्रभावी उपाय किए हैं, ताकि सरकार अधिकतम उपयोग के आधार पर इन इकाइयों की क्षमता निर्धारित करने पर विचार कर सके। उदार औद्योगिक लाइसेंस नीति की अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्थापित की गई क्षमता के बारे में भी सरकार को बता दिया जाय ताकि यथावश्यक कार्यवाई की जा सके। जहां तक सी०ओ०बी० इकाइयों के अलावा अन्य इकाइयों का सम्बन्ध है इनकी क्षमता का मूल्यांकन लाइसेंसीकृत क्षमता, स्थापित क्षमता, पिछले उत्पादन, इकाई की स्थिति और सक्षमता के आधार पर किया जाए। सभी पुनर्वेलन इकाइयों में (सी० ओ० बी० इकाइयां भी शामिल हैं) पूंजी-निवेश के बारे में भी समिति को बताया जायेगा।

(2) सभी पुनर्वेलन इकाइयों द्वारा स्थापित की गई सुविधाओं का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा :—

(क) वे इकाइयां जो कार्बन और मिश्र-इस्पात से पिण्ड, ब्लूम तथा बिलेट का बेलन करने में तकनीकी रूप से समर्थ हैं।

(ख) वे इकाइयां जो अपने बेलन-उत्पादों के बारे में भारतीय मानक संस्था से चिन्ह योजना सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में समर्थ हैं,

(ग) वे इकाइयां जो उपर्युक्त अपेक्षाओं तथा मानकों के अनुरूप नहीं हैं,

(घ) वे इकाइयां जो सर्वांग हैं अथवा जिन्होंने लघु इस्पात कारखानों से अपने अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं,

(ङ) वे इकाइयां जो बन्द पड़ी हैं।

(3) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा पुनर्वेलनों के बीच बेलन के लिए उत्पादों के युक्तिसंगत विभाजन के बारे में एक योजना की सिफारिश करना।

(4) पुनर्वेलन उद्योग के संवर्धन, विविधीकरण और विकास के लिए अन्य उपायों की सिफारिश करना।

4. समिति विचारार्थ विषय की मद संख्या 3 के बारे में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट इस संकल्प के जारी होने के तीन महीने में तथा अन्तिम रिपोर्ट नौ महीने में सरकार को प्रस्तुत करेगी। समिति सी०ओ०बी० लाइसेंसों के बारे में क्षमता के लिए सिफारिशें अग्रिम में अर्थात् इस संकल्प के जारी होने के तीन महीने में प्रस्तुत करेगी।

द० दा० बोरकण्कर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 22nd September, 1978

RESOLUTION

No. IL-19(5)/78.—It is considered that a fresh study of the steel re-rolling industry should be made in order to assess their existing capacity, status and performance, and to recommend a plan of rationalisation of products from the integrated steel plants and the re-rollers, as well as other measures for the future growth and development of the re-rolling industry. It has, therefore, been decided to set up a Technical Committee for the above mentioned study.

2. Composition:

The composition of the Committee will be as follows :

(1) Shri P. K. Sarkar,
Iron & Steel Controller,
Iron and Steel Control,
234/4, Acharya Jagdish Bose Road,
Calcutta-700020. — Chairman

(2) Shri M. K. Pramanik,
Industrial Adviser,
Iron and Steel Control,
234/4, Acharya Jagdish Bose Road
Calcutta-700020. — Member

(3) Shri Udyan Sen,
Chief Superintendent (Finishing Mills)
Bhilai Steel Plant,
SAIL, Bhilai (M.P.) 490 001. — Member

(4) Shri Y. Irudayan,
Chief Marketing Manager.
Steel Authority of India Ltd.,
Industrial House,
5th Floor, 10, Camac Street,
Calcutta-700017. — Member

OR

Shri A. L. Sahu, Sales Manager,
Steel Authority of India Ltd.
Industrial House,
5th Floor, 10, Camac Street,
Calcutta-700017. — Member

(5) Representative of
M/s. Metallurgical and Engineering
Consultants (India) Ltd.,
Ranchi-834002. — Member

(6) Representative of
M/s. Dastur & Company (P) Ltd.,
Mission Row Extension,
Calcutta-700013. — Member

(7) Representative of the
Small Scale Industries,
Office of the Development Commissioner,
New Delhi. — Member

(8) Representative of the
Ministry of Industry
(Deptt. of Industrial Development)
New Delhi. — Member

(9) Shri S. S. Saha,
Development Officer,
Iron and Steel Control,
234/4, Acharya Jagdish Bose Road,
Calcutta-700020. — Member Secretary

The Committee may co-opt additional members as and when considered necessary. Shri M. K. Pramanik will act as Chairman of the Committee in the absence of the Iron and Steel Controller.

3. Terms of Reference :

(1) to asses and recommend capacity of steel re-rolling units on maximum utilisation basis, on the basis of a predetermined norms to be adopted by the Committee. As regards the units holding Carry on Business Licence the assessment would be on the basis of the equipments and machineries installed during the Liberalised Industrial Licensing Policy period/"effective steps" taken during the Liberalised Industrial Licensing Policy period (i.e. during 19th February, 1970 to 31 October, 1973 in respect of units other than strips /sheets units and for the strips/sheets units for the period from 19th February, 1970 to 13th November, 1975 to enable the Government to consider fixation of capacity of these units on maximum utilisation basis. Capacity installed after the LILP period was over may also be indicated for such action as may be considered necessary by the Government. In respect of units other than C.O.B. units, assessment of capacity may be made with reference to the capacity licensed, capacity installed, past production, status and health of the units. The level of investment of all the re-rolling units (including the C.O.B. units) will also be indicated.

(2) to evaluate the facilities installed by all the re-rolling units with special attention to the identification of—

(a) units which are technically capable of rolling ingots, blooms and billets of carbon as well as alloy steels;

(b) units considered fit to obtain the ISI certification Mark Scheme in respect of their end products;

(c) units which do not conform to the above requirements and standards;

(d) units which are integrated or have tie-up arrangements with mini-steel plants; and

(e) units which are lying closed.

(3) to recommended a plan of rationalisation of sections for rolling between integrated plants and re-rollers.

(4) to recommend any other measures for the growth, diversification, and development of the re-rolling industry.

4. The Committee will submit an interim report to the Government on item No. 3 of the terms of reference within a period of 3 months and the final report within 9 months from the date of issue of this Resolution. Recommendations of capacity with regard to the C.O.B. licences will be submitted by the Committee in advance, within 3 months from the date of this Resolution.

D. D. BORWANKAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978